पत्रांक–अ०स०क०–37–04/2013 (खण्ड–क)......886

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो० सोहैल
सरकार के सचिव

सेवा में,

ई–मेल

सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 13.03.2024

विषयः– **अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन एवं आवंटन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक– 1320 दिनांक– 16.06.2017 में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन एवं आवंटन के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक– 1320 दिनांक– 16.06.2017 में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किया जाता है :–

1. मार्गदर्शिका की कंडिका–1 (ख) में "जिस अल्पसंख्यक विशेष संस्थान के उपयोग हेतु छात्रावास निर्मित हुआ है या हो रहा है, उस संस्थान विशेष को छात्रों के नामांकन का अधिकार होगा अर्थात् Admission Procedure उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। यदि छात्रावास में क्षमता से कम छात्र आवासित हैं तो दूसरे सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों का नामांकन, जिस संस्थान विशेष में छात्रावास निर्मित है, उसके प्राचार्य की सहमति से किया जाएगा" जोड़ा जाता है।
2. अधीक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास के पद की अधिकतम अवधि 05 वर्ष निर्धारित की जाती है।
3. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों की साफ–सफाई हेतु 08 घंटे के हिसाब से अधिकतम 03 सफाई कर्मी की सेवा लेने की स्वीकृति दी जाती है।
4. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों की सुरक्षा हेतु 08 घंटे के हिसाब से अधिकतम 03 सुरक्षा कर्मी की सेवा लेने की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें से 01 सुरक्षा कर्मी का उपयोग केयरटेकर के रूप में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

   अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में सफाई एवं सुरक्षा कर्मियों के रखने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–2971 दिनांक–03.12.2021 को रद्द किया जाता है।
5. अल्पसंख्यक कलयाण छात्रावासों में कार्यरत सफाई एवं सुरक्षा कर्मियों के मानदेय का भुगतान बजट शीर्ष 28–02 "संविदा सेवायें" मद से किया जायेगा।
6. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्रों को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान एवं खाद्यान्न का लाभ प्रदान करने हेतु उन्हें छात्रावास में न्यूनतम 22 दिनों तक आवासित रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। छात्रावास अनुदान की राशि का भुगतान Aadhar Seeded बैंक खातों में किया जाएगा।

कृ०पृ०उ०

Scanned with OKEN Scanner

7. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में ऑनलाइन नामांकन हेतु विकसित किए गए पोर्टल https://ekalyan.bih.nic.in/MH_App/Default.aspx पर प्रत्येक माह निम्न समय सारणी के अनुसार किया जाएगा :–

क्र०	प्रत्येक माह की अवधि	संबंधित कार्य
1.	$1^{st} - 10^{th}$	छात्रों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन।
2.	$11^{th} - 12^{th}$	छात्रों के द्वारा Submit किए गए आवदेन में त्रुटियों का सुधार (Edit)।
3.	15^{th}	आवेदन करने की अंतिम तिथि।
4.	$16^{th} - 21^{th}$	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के Login से आवेदन को सत्यापित कर छात्रावास अधीक्षक के Login में Forward।
5.	$22^{th} - 28^{th}$	छात्रावास अधीक्षक के द्वारा छात्रों को Room अथवा Bed का आवंटन।

8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पटना द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका पत्रांक–1320 दिनांक– 16.06.2017 के कंडिका– 5 में आंशिक संशोधन करते हुए छात्रावास के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मशीनें एवं उपस्कर मद, अनुरक्षण एवं मरम्मद मद, आदि में निधि का उपाबंटन अधियाचना के आधार पर किया जाएगा।

9. श्रमायुक्त कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1020 दिनांक 21.02.2024 के आलोक में निम्न प्रावधानों को आउटसोंर्सिंग एजेन्सियों के द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा :–

(i) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना।
(ii) प्रत्येक 06 माह पर महँगाई भत्ता जोड़कर पारिश्रमिक का निर्धारण करना।
(iii) न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर प्राप्त निविदा को अस्वीकृत करना।
(iv) न्यूनतम 08 घंटे तक कार्य लेना तथा ओवरटाईम के लिए प्रत्येक घंटा सामान्य दर से 02 गुने दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करना।

अतः अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
12/3/24
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– अ०स०क०–37–04/2013 (खण्ड–क) ...886 पटना, दिनांक– 13.03.2024

ई–मेल

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/24
सरकार के सचिव

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक-अ०सं०क०-14-02/2014..1320../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

ई-मेल

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार ।

पटना, दिनांक..16/6/17/

विषय- अल्पसंख्यक छात्रावास के संचालन एवं आवंटन के संबंध में संशोधित दिशा-निदेश ।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-326 दिनांक- 08.02.2016

महाशय,

अल्पसंख्यक छात्रावास के रख-रखाव एवं व्यवस्था के संबंध में विभागीय पत्रांक-326 दिनांक- 08.02.2016 द्वारा दिशा-निदेश निर्गत किये हैं । उक्त दिशा-निदेश में कंडिका- 2(ग) का समावेश करते हुए संशोधित दिशा-निदेश निम्न प्रकार निर्गत किये जाते है :-

1. (क) <u>संचालन समिति का गठन</u>

जिला में निर्मित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुमोदन से गठित एक संचालन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे ।

i. जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारी :- अध्यक्ष

ii. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी :- सदस्य-सचिव

iii. जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के विधायक/ विधान पार्षद:- सदस्य (यदि कोई हो)

iv. अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्य शिक्षाविद् :- 1 सदस्य

v. जिला के महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों में से एक जो अल्पसंख्यक समुदाय के हों :- सदस्य

vi. जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के एक गणमान्य व्यक्ति :- सदस्य

(ख) जिन छात्रावास का निर्माण विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परिसर में हो रहा है उनका प्रभार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का आदेश प्राप्त कर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय प्रशासन को सौंप दिया जाएगा । विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा इन छात्रावासों का संचालन विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के नियम के अनुसार किया जाएगा, परन्तु छात्रावास में प्रवेश के लिए कंडिका- 3 में अंकित प्रावधान का अनुपालन अनिवार्य होगा । यदि विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय प्रशासन छात्रावास का संचालन भली-भांति करने में विफल रहे तो छात्रावास का प्रबंधन उनसे वापस लेने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

(99

किसी छात्रावास के लिए इस पत्र के निर्गत होने के पूर्व की गठित संचालन समिति पूर्व की भांति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक जिला पदाधिकारी द्वारा उसके विघटन की आवश्यकता महसूस करने पर नई संचालन समिति का गठन नहीं कर दिया जाता है ।

(ग) संचालन समिति की बैठक

(i) अध्यक्ष के आदेश से प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आवश्यकतानुसार संचालन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी ।

(ii) संचालन समिति की सभी संचिका/ बैठक की कार्यवाही पंजी में, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा संधारित की जाएगी ।

(घ) संचालन समिति का दायित्व

(i) छात्रावास में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करना ।

(ii) छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति करना ।

(iii) प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना ।

(iv) छात्रावास में शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना ।

(v) अवांछनीय आचरण वाले छात्रों के विरूद्ध कार्रवाई करना ।

(vi) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना ।

(vii) छात्रावास संचालन/रख-रखाव में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक उपाय करना ।

(viii) छात्रावास के रख-रखाव, सफाई और सुरक्षा हेतु कर्मियों की सेवाएं जॉब आउट सोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करना ।

2. छात्रावास अधीक्षक

(क) नियुक्ति :- इस पद पर संचालन समिति द्वारा जिले के किसी अंगीभूत महाविद्यालय/+2 विद्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी ।

(ख) छात्रावास अधीक्षक का दायित्व :-

(i) छात्रावास में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ii) छात्रों का नामांकन पंजी संधारित करना ।

(iii) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को परिचय पत्र निर्गत करना ।

(iv) छात्रावास में शैक्षणिक विकास हेतु उपयुक्त वातावरण बनाये रखना ।

(v) छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना ।

(vi) अवांछनीय आचरण वाले छात्रों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संचालन समिति से अनुशंसा करना तथा समिति के निदेशानुसार कार्रवाई करना ।

(vii) छात्रावास के चल/अचल संपत्ति की सुरक्षा/ बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित करना ।

(viii) संचालन समिति के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(ग) मानदेयः- छात्रावास अधीक्षक को विभागीय ज्ञापांक- 1267 दिनांक- 13.06.2017 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में प्रतिमाह 2000/- (दो हजार) रुपये मानदेय देय होगा जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

3. <u>छात्रावास में प्रवेश</u> :-

(क) अल्पसंख्यक छात्रावास में मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र प्रवेश पाने का पात्र होंगे ।

(ख) छात्रावास में प्रवेश का आवेदन शिक्षारत शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य की अनुशंसा से संचालन समिति को उपलब्ध कराना होगा । सीट से अधिक आवेदक होने पर संचालन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जायेगा । समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग) पटना में निर्मित छात्रावास में पटना विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे पर 40 प्रतिशत सीट पटना अवस्थित अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगी । आराक्षित कोटा की 40% सीट नहीं भरने की स्थिति में खाली सीट अनारक्षित मानी जायेगी।

(घ) छात्रों का नामांकन पंजी छात्रावास अधीक्षक द्वारा संधारित की जाएगी जिसमें नामांकित छात्रों का आवासीय पता सहित पूर्ण विवरण दर्ज किया जायेगा । इस पंजी में छात्र का अद्यतन फोटो भी लगाया जायेगा ।

(ङ) छात्र/ छात्राओं का दाखिला एक वर्ष के लिए होगा तथा नामांकित पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा (Final Exam) के एक सप्ताह के अंदर छात्रावास खाली कर देना होगा ।

(च) छात्रों के लिए छात्रावास में ही सामूहिक मेस के माध्यम से भोजन की व्यवस्था रहेगी, मेस का शुल्क छात्रों से वसूलनीय होगा ।

4. <u>शुल्क का निर्धारण एवं खाता संचालन</u> :-

(i) छात्रों से रूम भाड़ा, कॉशन मनी, कॉमन रूम चार्ज आदि के रुप में 300(तीन सौ) रु० प्रतिमाह की दर से शुल्क वसूलनीय होगा ।

(ii) छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 10% छात्रों से निर्धारित शुल्क की आधी राशि वसूली जाएगी । ऐसे छात्रों का चयन संचालन समिति द्वारा छात्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा ।

(iii) वसूली गई राशि का सीधे व्यय नहीं किया जाएगा । सर्वप्रथम इस राशि को एक अलग संधारित खाता मे जमा किया जाएगा एवं उस खाता से निकासी कर ही इसका व्यय किया जा सकेगा ।

(iv) वसूली गयी शुल्क की राशि अलग खाता में रखी जाएगी । इस खाता का संचालन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार किया जाएगा कि छोट-छोटे दैनिक व्यय हेतु 10,000/-(दस हजार) रुपये तक की राशि की निकासी केवल अधीक्षक के हस्ताक्षर से की जा सकेगी तथा इससे बड़ी राशि की निकासी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से की जा सकेगी ।

(v) छात्रावास अधीक्षक के एकल हस्ताक्षर द्वारा निकासी की गई राशि की सूचना अधीक्षक की ओर से छात्रावास संचालन समिति की बैठक में अवलोकनार्थ रखी जायेगी ।

(vi) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा व्यय का पूर्ण ब्यौरा संचालन समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

197

5. **सुरक्षा, रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्थाः-**

विभाग द्वारा छात्रावास के संचालन हेतु प्रति वर्ष 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये का आवंटन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । इसके अतिरिक्त असैनिक मरम्मति तथा विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु भी अलग से आवंटन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास की सुरक्षा एवं सफाई हेतु सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी की सेवा मान्यताप्राप्त एजेंसी से ली जायेगी एवं इसका भुगतान छात्रों से वसूली गयी राशि से किया जायेगा । इस मद में राशि की कमी होने पर इसका भुगतान रख-रखाव मद में आवंटित राशि से किया जा सकेगा ।

6. **विविध**

(i) छात्रावास के कमरे में खाना बनाना एवं हीटर का उपयोग वर्जित है । सभी छात्र इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(ii) छात्रावास के मेस के लिए रसोइया को नहीं रखा जाए । खाना की व्यवस्था मेनू तथा दर निर्धारित कर किसी ठेकेदार के माध्यम से कराई जाए जिसका भुगतान छात्रों द्वारा किया जाएगा। विकल्पतः यदि छात्र चाहें तो छात्रों की एक मेस संचालन समिति बनाकर सेल्फ मैनेजमेंट के आधार पर भी मेस का सीधे संचालन कर सकेंगे ।

(iii) छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । जहाँ कॉमन रुम एवं पुस्तकालय भी कायम किया गया है । छात्रों द्वारा इन का उपयोग इस प्रकार किया जाय कि इन्हें कोई क्षति नहीं होने पाए । जानबूझ कर की गयी क्षति के लिए दोषी छात्र से क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जा सकेगी ।

(iv) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तक, पत्र-पत्रिका एवं कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे । इस प्रयोजनार्थ राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायगी ।

(v) पत्रिका एवं समाचार पत्र का अध्ययन छात्रों द्वारा लाइब्रेरी हॉल में ही किया जा सकेगा, इनको लाइब्रेरी हॉल के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 1320/ पटना, दिनांक- 16/6/17

ई-मेल

प्रतिलिपिः- सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 1320/ पटना, दिनांक- 16/6/17

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/ पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

14.6.17

सरकार के प्रधान सचिव

Scanned with OKEN Scanner